:: न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0,ग्वालियर ::

समक्ष

डॉ0 एम0के0अग्रवाल

सदस्य

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरारनी/अशोकनगर/भू0रा0/2018/0856–विरूद्ध आदेश दिनांक 17.11.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर– प्रकरण क्रमांक 290/2017–18/अपील।

श्रीमती चन्द्रकांता पुत्री कमलसिंह पत्नी
सुरेन्द्रसिंह,निवासी शाढौरा,जिला अशोकनगर
हाल निवासी डी–51 नेहरू नगर कोटरा
सुल्तानाबाद,भोपाल,म0प्र0। ----- आवेदिका

विरूद्ध

1. रामकौशलेन्द्रसिंह पुत्र श्री हरवीरसिंह रघुवंशी,निवासी खैजराकलां,हाल निवासी तेलधानी,ए0बी0रोड,गुना,म0प्र0।
2. रघुवीर पुत्र अर्जुनसिंह निवासी ग्राम खैजराकलां।
3. श्रीमती रामकली पत्नी स्व0 श्री शिवनंदनसिंह आयु 70 वर्ष,निवासी ग्राम खैजराकलां,पोस्ट सेमराहाट,तहसील व जिला अशोकनगर,म0प्र0।
4. नरेन्द्रसिंह पत्र स्व0 शिवनंदनसिंह।
5. हरिओमसिंह पुत्र स्व0 शिवनंदनसिंह।
   निवासी ग्राम खैजराकलां,तहसील व जिला अशोकनगर,म0प्र0।
6. रमेशकुमार पुत्र श्री उत्तमसिंह फौत वारिसान–
7. कान्ताबई पत्नी स्व0 रमेशकुमार।
8. खगेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 रमेशकुमार।
9. युधिष्ठरसिंह पत्र स्व0 रमेशकुमार
10. शिवेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 रमेशकुमार।
    निवासी ग्राम खैजराकलां,तहसील व जिाल अशोकनगर,म0प्र0।
11. श्याम राघवेन्द्रसिंह पुत्र हरवीरसिंह रघुवंशी।

12. कृष्ण योगेन्द्रसिंह पुत्र हरवीरसिंह रघुवंशी।
13. शिवउमेंन्द्रसिंह पुत्र श्री हरवीरसिंह रघुवंशी।
हाल निवासी तेलघानी,ए0बी0रोड,गुना,म0प्र0।
14. विश्ववीरसिंह पुत्र श्री अनन्तसिंह रघुवंशी
हाल निवासी तेलघानी,ए0बी0रोड,गुना,म0प्र0।
15. शैलेन्द्रसिंह पुत्र विश्ववीरसिंह रघुवंशी।
16. योगेन्द्रसिंह पुत्र श्री विश्ववीरसिंह रघुवंशी
समस्त निवासीगण महल मोहल्ला,शाढौरा
तहसील शाढौरा,जिला अशोकनगर,म0प्र0।
17. मधु पुत्री विश्ववीरसिंह रघुवंशी पत्नी
राजकुमारसिंह रघुवंशी,निवासी वंदना कान्वेन्ट
के पीछे,गुना,म0प्र0।
18. धर्मेन्द्रसिंह पुत्र श्री विश्ववीरसिंह फौत वारिस–
19. अतुल पुत्र स्व0 धर्मेन्द्रसिंह रघुवंशी।
20. अर्पित पुत्र स्व0 श्री धर्मेन्द्रसिंह रघुवंशी।
निवासी महल मोहल्ला,शाढौरा,जिला अशोकनगर
म0प्र0।
21 संक्रीत पुत्र अशोकसिंह रघुवंशी,निवासीगण ग्राम
खैजराकलां,तहसील व जिला अशोकनगर,म0प्र0। —————अनावेदकगण

1. श्री कुवंरसिंह कुशवाह, अभिभाषक——————————निगरानीकर्ता के लिये।
2. श्री के0के0द्विवेदी,अभिभाषक————————————गैरनिगरानीकर्ता–1 के लिये।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 18.5.18 को पारित)

यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 290/ 2017–18/ अपील में पारित आदेश दिनांक 17.11.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 178 के अंतर्गत ग्राम तरावली तहसील अशोकनगर में स्थित कृषि भूमि खाता क्रमांक 155 का वटवारा किये जाने बावत आवेदन पत्र पेश किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 04/अ–27/2008–09 पर पंजीवद्ध करते हुये वटवारा कार्यवाही प्रारंभ की जाकर

आदेश दिनांक 11.12.2010 बृहद लोक अदालत के द्वारा निगरानीकर्ता तथा गैरनिगरानीकर्तागण के मध्य वटवारा आदेश पारित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित वटवारा आदेश से परिवेदित होकर गैरनिगरानीकर्ता क्रमांक 1 एवं अन्य के द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 34/2010–11/अपील माल पर दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 31.10.2017 से प्रस्तुत अपील निरस्त की गयी। अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.2017 से व्यथित होकर गैरनिगरानीकर्ता क्र0–1 के द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त,ग्वालियर संभागय ग्वालियर के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, जो प्रकरण क्रमांक 290/2017–18/अपील माल पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 17.11.2017 से प्रकरण में यथास्थिति कायम की जाकर अंतरण पर रोक लगाये जाने का आदेश दिया गया। अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.11.2017 से दुखी होकर निगरानीकर्ता के द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गयी है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख आहूत किया जाकर उभयपक्षकारों के विद्धान अभिभाषकगणों के तर्क सुने गये।

4. निगरानीकर्ता के विद्धान अभिभाषक ने अपने तर्क प्रायः उन्ही विन्दुओं के आधार पर प्रस्तुत किये गये है, जिनका उल्लेख निगरानी मेमो में किया गया है। इसके अलावा मौखिक रूप से यह तर्क पेश किये गये कि निगरानीकर्ता को बिना सुने एक तरफा स्थगन आदेश दिया है जो दिसम्बर, 2011 एम0पी0एल0आर0सी0 में संशोधन के विपरीत है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण लोक अदालत मे उभयपक्षकारों के मध्य दिनांक 11.12.2010 को आदेश पारित हुआ है तथा अपील में भी अनुविभागीय अधिकारी,अशोकनगर द्वारा यथावत रखा गया है, किन्तु अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा लोक अदालत में पारित आदेश को नजरअन्दाज करते हुये जो एक तरफा स्थगन आदेश जारी किया गया है, वह विधिसम्मत न होने के कारण स्थिर रखे जाने योग्य न होने से निरस्त किया जाकर प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जावे।

5. गैरनिगरानीकर्ता क्र–1 के अभिभाषक ने अपने तर्क में मुख्य रूप से यह बताया है कि स्थगन आदेश पारित करना न्यायालय के स्वविवेक पर निर्भर है। अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा भी अपने विवके का इस्तेमाल किया जाकर ही प्रकरण में यथास्थिति कायम की जाकर केवल अंतरण पर रोक लगाई गई है। इससे निगरानीकर्ता को किसी प्रकार से कोई क्षति नहीं होती है और न ही अपूर्णनीय क्षति हो रही है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग

ग्वालियर द्वारा पारित स्थगन आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई न्यायोचित आधार न होने से यथावत रखा जावे और प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावे।

6. मैनें प्रकरण में उभयपक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगणों के द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं का परिशीलन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट है कि तहसील अशोकनगर के ग्राम खैजराकलां में स्थित भूमि खाता क्रमांक 155 जिसके निगरानीकर्ता एवं गैरनिगरानीकर्तागण संयुक्त रूप से खाताधारक होकर राजस्व अभिलेख में दर्ज हैं। निगरानीकर्ता के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 178 के अंतर्गत प्रश्नाधीन खाते का वटवारा किये जाने बावत आवेदन पत्र पेश किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्षकारों को सुनने के बाद तथा प्राप्त दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर संहिता की धारा 178 के अंतर्गत प्रावधानों के आधार पर निगरानीकर्ता एवं गैरनिगरानीकर्तागणों के मध्य विभाजन आदेश दिनांक 11.12.2010 लोक अदालत में पारित किया गया। विभाजन आदेश दिनांक 11.12.2010 से परिवेदित होकर गैरनिगरानीकर्ता क्र–1 तथा अन्य के द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर के न्यायालय में पेश की गयी, जो दिनांक 31.10.2017 से निरस्त की गयी। द्वितीय अपील अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपील मेमो के साथ ही संहिता की धारा 52 के अंतर्गत आवेदन पत्र पेश करते हुये पारित आदेश का क्रियान्वयन स्थगित किये जाने की याचना की गयी। अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा दिनांक 17.11.2017 को प्रकरण में यथास्थिति कायम की जाकर अंतरण पर रोक लगाये जाने का आदेश दिया गया।

निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क कि प्रकरण में उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय रूप से स्थगन आदेश पारित कर दिया गया है, जो उचित न होने से निरस्त किया जावे। इस संबंध में निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक के इस तर्क से सहमत नहीं हूं क्योंकि अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत अपील को सुनवाई के लिये ग्रहण कर लिया जाकर ही प्रकरण में यथास्थिति कायम की जाकर अंतरण पर रोक लगाई गई है। 2017 रे0नि0 193 (उच्च न्यायालय) विद्याराम विरूद्ध म0प्र0 राज्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अपील सुनवाई हेतु ग्रहण किये जाने का निष्कर्ष यह निकाला जाएगा कि अपीलार्थीगण के मामले में प्रथमदृष्टया कानूनी मुद्‌दा निहित है, तब रोक आदेश प्रदान करने से इन्कार नहीं किया जाना चाहिये। इसके अलावा स्थगन आदेश देना या न देना यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर है। वैसी भी निगरानीकर्ता को अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने या अपनी बात रखने का पूरा पूरा अवसर प्राप्त है, वे अपना पक्ष अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर में रख सकते हैं। इस प्रकार अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा

पारित आदेश दिनांक 17.11.2017 में हस्तक्षेप किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नही है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.11.2017 विधिसम्मत होने के कारण यथावत रखा जाता है और प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापिस किया जावे तथा प्रकरण अंक से कम किया जाकर दाखिल रिकार्ड किया जावे।

(डॉ0 एम0 के0 अग्रवाल)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0,ग्वालियर